<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
पुखाराम बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर)
सू.अ.अपील संख्या 209/2023</td><td>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>04.09.23</td><td>अपीलार्थी पुखाराम पुत्र जोगाराम निवासी ग्राम/पोस्ट जोलियाली, तहसील व जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 05.05.2023 में (1) ग्राम पंचायत जोलियाली में ख.न. 19/3 में कौन कौन से ग्राम पंचायत भवन का निर्माण किया गया, खसरा न. 19/3 में जो जो भवन बने हुए है, उनका क्षेत्रफल सहित विवरण (2) अन्य बिन्दूओं से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

(हिमान्शु गुप्ता)
जिला कलक्टर जोधपुर
जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)</td><td></td></tr>
</table>